



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H41302 सी-6/0.A.M-607/2019

Dated 13/9/19

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Sub: Submission of Compliance report of order dated 13.08.2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 607/2019 Amit Vs. State of Uttar Pradesh.

Sir,

Kindly refer the subject mentioned above. Compliance report of order dated 13.08.2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in OA no. 607/2019 regarding M/s Balaji Brick Field (Old name M/s Shukla Brick Field), M/s Sultan Brick Field, M/s Chaudhry Brick Field, M/s Alok Brick Field & M/s Taj Ali Brick Field situated at Village-Mishrauliadhish, Post-Sringinari, Block-Parshurampur, Tehsil-Harraiya, District-Basti is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures: As above

Sincerely Yours,


13/9/2019
(S.B. Singh)

**Chief Environmental Officer
(CEO-6)**

Copy to:

Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida
District-GB Nagar, 201301 for information and further necessary action.

**Chief Environmental Officer
(CEO-6)**

Compliance report of order dated 13.08.2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 607/2019 Amit Vs. State of Uttar Pradesh:

The relevant portion of the Hon'ble NGT, New Delhi order in OA no. 607/2019 dated 13.08.2019 is as follows:-

"Allegation in this letter, which has been treated as an application, is against operation of illegal brick kilns at block Parshurampur, District Basti, U.P. Even though order of closure has been passed, the brick kilns are allowed to operate.

Let the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) look into the matter and take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this Tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by e-mail at judicial-ngt@gov.in....."

1. That in compliance of order dated 13.08.2019 Chief Environmental Officer, Circle-6, (CEO-6) UPPCB, Lucknow directed to Regional Officer, UP Pollution Control Board, Basti to send latest status report of Brick Kilns situated in Village-Mishrauliadhish, Post-Sringinari, Block-Parshurampur, Tehsil-Harraiya, District-Basti vide letter no. H 40405/C-6/Gen-516/2019 dated 26.08.2019 and letter was E-mailed to RO, UPPCB, Basti. Copy of the said letter is **annexed as annexure-01**.
2. That in compliance of order CEO-6 UPPCB, Lucknow, R.O., UPPCB, Basti inspected Brick Kilns situated in Village-Mishrauliadhish, Post-Sringinari, Block-Parshurampur, Tehsil-Harraiya, District-Basti on dated 26.08.2019 and sent report to CEO-6, UPPCB, Lucknow vide letter no. 693/Gen-103/NGT/2019 dated 27.08.2019. Inspection report sent by RO, UPPCB, Basti is **annexed as annexure-02**.
3. That as per inspection report of RO, UPPCB, Basti following Brick Kilns are situated in Village-Mishrauliadhish, Post-Sringinari, Block-Parshurampur, Tehsil-Harraiya, District-Basti:-
 - a) M/s Balaji Brick Field (Old name M/s Shukla Brick Field).
 - b) M/s Sultan Brick Field.
 - c) M/s Chaudhry Brick Field.
 - d) M/s Alok Brick Field.
 - e) M/s Taj Ali Brick Field.

During inspection dated 26.08.2019 above said brick field were found closed due to rainy season.

4. That as per report of RO, UPPCB, Basti, closure order has been issued against all the Brick Kilns mentioned in point no. 03 by UPPCB u/s 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The copy of said closure orders has been endorsed to the following for information and necessary action:-
 - a. District Magistrate, Basti.
 - b. Superintendent of Police, Basti.


EE
C-6


CEO,
C-6

- c. AMA, Jila Panchayat, Basti.
 - d. District Mining Officer, Basti.
5. That in compliance of closure order issued by UPPCB against Brick Kilns situated in Village-Mishrauliyaadhis, Post-Sringinari, Block-Parshurampur, Tehsil-Harraiya, District-Basti official of District Administration, Basti and UPPCB, Basti visited the site of Brick Kilns on dated 12.07.2019. During inspection all Brick Kilns as mentioned in point no. 03 were found closed due to rainy season. Officials directed representatives of Brick Kilns that they should not operate Brick Kilns in season 2019-20 without obtaining Environmental Clearance for soil mining from DEIAA/SEIAA and consent to operate from UPPCB. Copy of the inspection report is **annexed as annexure-03.**
6. That in compliance of order dated 13.08.2019 prosecution u/s 37 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 has been filed by UPPCB before the Special Court (Air & Water Pollution Court), Lucknow against following Brick Kilns:-
- a. M/s Sultan Brick Field, Village-Mishrauliyaadhis, Post-Sringinari, Block-Parshurampur, Tehsil-Harraiya, District-Basti.
 - b. M/s Chaudhry Brick Field, Village-Mishrauliyaadhis, Post-Sringinari, Block-Parshurampur, Tehsil-Harraiya, District-Basti.
 - c. M/s Alok Brick Field, Village-Mishrauliyaadhis, Post-Sringinari, Block-Parshurampur, Tehsil-Harraiya, District-Basti.

Process of prosecution u/s 37 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 against M/s Balaji Brick Field (Old name M/s Shukla Brick Field), Village-Mishrauliyaadhis, Post-Sringinari, Block-Parshurampur, Tehsil-Harraiya, District-Basti and M/s Taj Ali Brick Field, Village-Mishrauliyaadhis, Post-Sringinari, Block-Parshurampur, Tehsil-Harraiya, District-Basti has been initiated by UPPCB.


EE
C-6


CEO,
C-6



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Annexure No-1
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 6/सि-516/2019

Dated 26/8/19
ई-मेल द्वारा

माननीय एन०जी०टी० प्रकरण

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बस्ती।

विषय: माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 807/2019 अमित बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 के सुसंगत अंश निम्नवत् है-

Allegation in this letter, which has been treated as an application, is against operation of illegal brick kilns at block Parshurampur, District Basti, U.P. Even though order of closure has been passed, the brick kilns are allowed to operate.

Let the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) look into the matter and take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this Tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by E-mail at judicial-ngt@gov.in.

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के संबंध में अद्यतन आख्या तत्काल प्रेषित करें जिससे Action Taken Report मा० अधिकरण में दायर किया जा सके।

भवदीय,

22/8/19
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि:

सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।


22/8/19
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)
7A

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

mail sent to
R.O. Basti
26/8/19

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फ़ैक्स : 05542-281440
Phone & Fax : 05542-281440



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 693/र/10-103/N.G.T./2019

दिनांक : 27.08.2019

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-6)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण भवन, टी0सी0-12 वी0, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-607/2019 अमित बनाम
स्टेट आफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त के संबंध में आपको अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-607/2019 अमित बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 एवं उक्त के संदर्भ में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच40405/सी-6/सा0-516/2019 दिनांक 26.08.2019 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती में स्थापित एवं पूर्व ईट भट्टा सत्रों में राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये संचालित ईट भट्टो का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 26.08.2019 को किया गया। ईट भट्टो का विवरण निम्नवत है-

1. मेसर्स बालाजी ब्रिक फील्ड(पूर्व नाम-शुक्ला ब्रिक फील्ड), ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती।
2. मेसर्स सुल्तान ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती।
3. मेसर्स चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती।
4. मेसर्स आलोक ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती।
5. मेसर्स ताजअली ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती।

अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त सभी ईट भट्टो के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया एवं ईट भट्टो के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,

ब्लॉक रोड, बुद्धापुरम, बड़ेबन, बस्ती-272001

Web site: www.uppccb.com, e-mail id: robasti@uppccb.com, ropccbasti@gmail.com

EE/SA
for necessary
action.
27/9/19
CEB

Urgent


G. Nath
S. P. Singh


माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-607/2019 अमित बनाम स्टेट आफ फ़ो०प्र० में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 एवं उक्त के संदर्भ में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच40405/सी-6/सा०-516/2019 दिनांक 26.08.2019 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में मेसर्स बालाजी ब्रिक फ़ील्ड(पूर्व नाम-शुक्ला ब्रिक फ़ील्ड), ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो०-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती की निरीक्षण संबंधी आख्या।


उपरोक्त संदर्भित ईट भट्टा मेसर्स बालाजी ब्रिक फ़ील्ड(पूर्व नाम-शुक्ला ब्रिक फ़ील्ड), ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो०-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 26.08.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता, पार्टनर उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भट्टा आफ सीजन के कारण बंद पाया गया। विस्तृत आख्या निम्नवत है-

1. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त ईट भट्टा ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो०-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, बस्ती के अराजी सं०-538 पर वर्ष 2009 से स्थापित एवं संचालित है।
2. उक्त ईट भट्टा 17 पाये का है तथा ईट की उत्पादन क्षमता लगभग 20,000ईट/दिन है। ईट भट्टा द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर पक्की ईटों का उत्पादन किया जाता है।
3. ईट भट्टा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन में व औद्योगिक प्रयोजन में मिट्टी को भिगोने हेतु प्रयोग में किया जाता है। ईट भट्टा से किसी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है।
4. ईट भट्टा उद्योग में ईंधन के रूप में कोयला/लकड़ी लगभग 3.2टन/दिन की दर से प्रयोग में लिया जाता है। पलू गैस का उत्सर्जन एक पक्की चिमनी जिसकी भूतल से ऊँचाई लगभग 27मी० है, के माध्यम से किया जाता है। निरीक्षण के समय चिमनी पर पोर्ट होल, मॉनीटरिंग प्लेटफार्म एवं सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
5. ईट भट्टे को पूर्व में मेसर्स शुक्ला ब्रिक फ़ील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो०-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के नाम से राज्य बोर्ड द्वारा गैसीय उत्सर्जन हेतु सशर्त सहमति(वायु) दिनांक 31.12.2013 तक की अवधि हेतु निर्गत किया गया था।
6. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक एच20448/सी-6/ईट भट्टा/28/बंदी आदेश/बस्ती/18 दिनांक 21.05.2018(छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है।
7. ईट भट्टा को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 21.05.2018 द्वारा जारी बंदी आदेश वर्तमान में प्रभावी है। उक्त ईट भट्टा उद्योग द्वारा जारी बंदी आदेश की अवहेलना करते हुए पूर्व ईट भट्टा सत्र 2018-19 में अपने ईट भट्टे का संचालन किया गया।
8. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ईट भट्टे को उत्प्रवाह निस्तारण तथा गैसीय उत्सर्जन हेतु सहमति आदेश बोर्ड द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। बंदी आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी पूर्व में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 24.05.2019 को किये गये निरीक्षण के समय ईट भट्टा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ही अवैधानिक रूप से संचालित किया जाता हुआ पाया गया था जिसके कारण ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्र सं०-430/सी-140/वायु/2019 दिनांक 25.05.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक


(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक


(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक... 1044-2 /सी-6/ईट भटठा/28/बन्दी आदेश/ वस्ती/18
सेवा में,

दि 02-5-18

पंजीकृत

मेसर्स शुक्ला ब्रिक फील्ड,
ग्राम-मिश्रौलियाधीश,
ब्लाक-परशुरामपुर,
तहसील- हरैया,
जनपद- बस्ती।

यह कि मेसर्स शुक्ला ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर लगभग 20,000 ईट/दिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि यह कि, मेसर्स शुक्ला ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.04.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठा संचालित पाया गया।

यह कि मेसर्स शुक्ला ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती को बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा-31 ए के अन्तर्गत दिनांक 20.03.18 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु ईट भटठे द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अतएव जन-हित एवं जन-साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट भटठे को संचालन से रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31 ए के अन्तर्गत आपके ईट भटठे मेसर्स शुक्ला ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती को निम्नवत बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

- 1 यह कि मेसर्स शुक्ला ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2 यह कि सखन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भटठे मेसर्स शुक्ला ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तहसील, हरैया, जनपद- बस्ती को मिलने खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाइसेंस के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

(प्रमोद मिश्र)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,

(वृत्त-8)

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, बस्ती।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बस्ती।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बस्ती।
4. जिला खनन अधिकारी, बस्ती।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को इस इस निर्देश के साथ कि ईट भटठे को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

पत्र प्राप्त किया

राम प्रसाद (बन्दी)

13/1/18

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-8)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Regional Office

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

: 430/सी 0-140 वायु/2019

दिनांक 25/05/20

य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-6)
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण भवन, टी0सी0-12 वी0, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

मेसर्स बालाजी ब्रिक फील्ड(पूर्व नाम-शुक्ला ब्रिक फील्ड), ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी,
ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के
विषय में।

महोदय

पया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच36178/सी-6/ईट भट्टा/479/
2019 नांक 20.05.2019 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। बोर्ड मुख्यालय द्वारा उक्त पत्र के
माध्यम प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में मेसर्स बालाजी ब्रिक फील्ड(पूर्व नाम-शुक्ला ब्रिक फील्ड), ग्राम-
मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का विधिक निरीक्षण
इस कार्यालय के अधिकारियों से दिनांक 24.05.2019 को कराया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टे पर
उपस्थित श्री राम रघुवीर, मुंशी को बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की
प्रति प्राप्ति करायी गयी। निरीक्षण आख्या एवं नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की मूल प्रति पत्र
के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रवदीय

(एस0बी0सिंह)

(एस0बी0सिंह)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

0/1

भट्ठा उद्योग मेसर्स बालाजी ब्रिक फील्ड(पूर्व नाम-शुक्ला ब्रिक फील्ड), ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के संबंध में विधिक निरीक्षण संबंधी आख्या।

मेसर्स बालाजी ब्रिक फील्ड(पूर्व नाम-शुक्ला ब्रिक फील्ड), ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का विधिक निरीक्षण किये जाने के संबंध में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच36178/सी-6/ईट भट्टा/479/2019 दिनांक 20.05.2019 के माध्यम से दिये गये निर्देश के अनुक्रम में मुख्यालय से प्राप्त नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की प्रति ईट भट्टे पर उपस्थित श्री राम रघुवीर, मुंशी को प्राप्त कराते हुए अपराह्न 15:00 बजे से 16:00 बजे के मध्य उक्त ईट भट्टा का निरीक्षण दिनांक 24.05.2019 को किया गया। श्री राम रघुवीर, मुंशी को प्राप्त करायी गयी नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की मूल प्रति आख्या के साथ संलग्न है। विस्तृत आख्या निम्नवत है-

1. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक एच20448/सी-6/ईट भट्टा/28/बंदी आदेश/बस्ती/18 दिनांक 21.05.2018 द्वारा उक्त ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है।
2. निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टा संचालित पाया गया।
3. उक्त ईट भट्टा उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर पक्की ईटों का उत्पादन किया जाता है। ईट भट्टा उद्योग 17 पाये का है तथा ईट की उत्पादन क्षमता लगभग 20,000ईट/दिन है।
4. ईट भट्टा उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन में व औद्योगिक प्रयोजन में मिट्टी को भिगोने हेतु प्रयोग में किया जाता है। ईट भट्टा से किसी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है।
5. ईट भट्टा उद्योग में ईंधन के रूप में कोयला/लकड़ी लगभग 3.2टन/दिन की दर से प्रयोग में लिया जाता है। फ्लू गैस का उत्सर्जन एक पक्की चिमनी जिसकी भूतल से ऊँचाई लगभग 27मी0 है, के माध्यम से किया जाता है। चिमनी पर पोर्ट होल, मॉनीटरिंग प्लेटफार्म एवं सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
6. ईट भट्टा उद्योग संचालित होने के कारण वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु ग्रेवटी सेटलिंग चैम्बर का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं हो पाया।
7. ईट भट्टा उद्योग द्वारा वर्तमान ईट भट्टा सत्र वर्ष 2018-19 में संचालन हेतु(वायु) सहमति बोर्ड से प्राप्त नहीं की गयी है।
8. ईट भट्टा को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 21.05.2018 द्वारा जारी बंदी आदेश वर्तमान में प्रभावी है। उक्त ईट भट्टा उद्योग द्वारा जारी बंदी आदेश की अवहेलना करते हुए ईट भट्टे का संचालन किया जा रहा है।
9. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ईट भट्टे को उत्प्रवाह निस्तारण तथा गैसीय उत्सर्जन हेतु सहमति आदेश बोर्ड द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। बंदी आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी निरीक्षण के समय ईट भट्टा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ही अवैधानिक रूप से संचालित किया जाता हुआ पाया गया। अतः ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।
10. मेसर्स बालाजी ब्रिक फील्ड(पूर्व नाम-शुक्ला ब्रिक फील्ड), ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के पार्टनर श्री राम अवतार वर्मा एवं श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता हैं, जिनका नाम व पता का विवरण निम्नवत है-

श्री राम अवतार वर्मा पुत्र श्री नान्हू वर्मा
(आयु लगभग 32 वर्ष)

ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी,

ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

105
35.05.19
(अरुण कुमार श्रीवास्तव)

वैज्ञानिक सहायक

श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री राधिका प्रसाद गुप्ता
(आयु लगभग 40 वर्ष)

ग्राम व पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर,

तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती

24.05.2019
(संतोष कुमार)

अवर अभियन्ता

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
T.C.-12V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR
LUCKNOW

Notice Of Inspection
[See Rule 10(2)]

Member-Secretary
Shri Ashish Tiwari

To,

M/s Balaji Brick Field (Old Name Shukla Brick Field),
Village-Mishrauliadheesh, Post-Shringinari,
Block-Parshurampur, Tehsil-Harriya,
District-Basti.


Take Notice that for the purpose of enquiry under section 21 the following officers of the Board, namely:-

1. Shri Santosh Kumar, J.E.
2. Shri Arun Kumar Srivastava, S.A.

and the persons authorized by the Board to assist them shall inspect-

Any system of your Industrial plant.

Any other parts thereof or pertaining thereto under management/control of date (a) 24/05/2019... between 15:00 P.M. to 16:00 P.M. hours when all facilities requested by them for such inspection should be made available to them on the site. Take Notice that refusal or denial to abovestated demand made under the functions of the State Board shall amount to obstruction punishable under section 37(1) of the Act.


Member-Secretary

(Ashish Tiwari)
Member Secretary
U.P. Pollution Control Board

Copy to


ग्राम विकास
राम रघुनीर S/O 2 विला प्रसाद
ग्राम दुनियां भीरी पोस्ट कौल
बस्ती
राम रघुनीर मुखर्जी
24-5-19


माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-607/2019 अमित बनाम स्टेट आफ 30प्र0 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 एवं उक्त के संदर्भ में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच40405/सी-6/सा0-516/2019 दिनांक 26.08.2019 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में मेसर्स सुल्तान ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती की निरीक्षण संबंधी आख्या।

उपरोक्त संदर्भित ईट भट्टा मेसर्स सुल्तान ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का निरीक्षण अघोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 26.08.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री शिव रतन, मुंशी ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भट्टा आफ सीजन के कारण बंद पाया गया। विस्तृत आख्या निम्नवत है-

1. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त ईट भट्टा ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, बस्ती में वर्ष 2014 से स्थापित एवं संचालित है।
2. उक्त ईट भट्टा 17 पाये का है तथा ईट की उत्पादन क्षमता लगभग 18,000ईट/दिन है। ईट भट्टा द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर पक्की ईटों का उत्पादन किया जाता है।
3. ईट भट्टा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन में व औद्योगिक प्रयोजन में मिट्टी को भिगोने हेतु प्रयोग में किया जाता है। ईट भट्टा से किसी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है।
4. ईट भट्टा उद्योग में ईंधन के रूप में कोयला/लकड़ी लगभग 3.0टन/दिन की दर से प्रयोग में लिया जाता है। पलू गैस का उत्सर्जन एक पक्की चिमनी जिसकी मूलतः से ऊँचाई लगभग 27मी0 है, के माध्यम से किया जाता है। निरीक्षण के समय चिमनी पर पोर्ट होल स्थापित पाया गया परन्तु मॉनीटरिंग प्लेटफार्म तथा सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
5. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक एच20652/सी-6/ईट भट्टा/33/बंदी आदेश/बस्ती/18 दिनांक 22.05.2018(छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है।
6. ईट भट्टा को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 22.05.2018 द्वारा जारी बंदी आदेश वर्तमान में प्रभावी है। उक्त ईट भट्टा उद्योग द्वारा जारी बंदी आदेश की अवहेलना करते हुए पूर्व ईट भट्टा सत्र 2018-19 में अपने ईट भट्टे का संचालन किया गया।
7. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ईट भट्टे को उत्प्रवाह निस्तारण तथा गैसीय उत्सर्जन हेतु सहमति आदेश बोर्ड द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। बंदी आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी पूर्व में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 24.05.2019 को किये गये निरीक्षण के समय ईट भट्टा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ही अवैधानिक रूप से संचालित किया जाता हुआ पाया गया था जिसके कारण ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्र सं0-442/सी-276/वायु/2019 दिनांक 25.05.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक


(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक


(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक..... 420652/सी-6/ईट मट्टा/33/बन्दी आदेश/ वस्ती/18
सेवा में,

दि 22-5-18

पंजीकृत

मेसर्स सुल्तान ब्रिक फील्ड,
ग्राम-मिश्रौलियाधीश,
ब्लाक-परशुरामपुर,
तहसील- हरैया,
जनपद- बस्ती।

यह कि मेसर्स सुल्तान ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर लगभग 25,000 ईट/दिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जो कि वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा-40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि यह कि मेसर्स सुल्तान ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.04.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट मट्टा संचालित पाया गया।

यह कि मेसर्स सुल्तान ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती को बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा-31 ए के अंतर्गत दिनांक 20.03.18 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु ईट मट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अतएव जन-हित एवं जन-साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट मट्टे को संचालन से रोक जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-31 ए के अंतर्गत आपके ईट मट्टे मेसर्स सुल्तान ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती को निम्नवत बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

- 1 यह कि मेसर्स सुल्तान ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2 यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट मट्टे मेसर्स सुल्तान ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती को गिलाने खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाइसेंस के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

(प्रमोद मिश्रा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, बस्ती।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बस्ती।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बस्ती।
4. जिला खनन अधिकारी, बस्ती।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को इस इस निर्देश के साथ कि ईट मट्टे को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

13-5-18 सुल्तान ब्रिक फील्ड

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ 442/सी 6-276/राप्र/2019

दिनांक : 25/05/19

सेवा हेतु

पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
एन भवन, टी0सी0-12 वी0, विनोद खण्ड,
नगर, लखनऊ।

विषय: सुल्तान ब्रिक फ़ील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लॉक-परशुरामपुर,
तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

कृपा उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच36178/सी-6/ईट भट्टा/479/
2019 दिनांक 20.05.2019 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। बोर्ड मुख्यालय द्वारा उक्त पत्र के
माध्यम से प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में मेसर्स सुल्तान ब्रिक फ़ील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी,
ब्लॉक-परशुरामपुर तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का विधिक निरीक्षण इस कार्यालय के अधिकारियों से
दिनांक 24.05.2019 को कराया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टे पर उपस्थित श्री किशय कुमार मुंशी
को बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की प्रति प्राप्त करायी गयी।
निरीक्षण आख्या एवं नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की मूल प्रति पत्र के साथ संलग्न कर
आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(एस0बी0सिंह)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

ईट भट्टा उद्योग मेसर्स सुल्तान ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के संबंध में विधिक निरीक्षण संबंधी आख्या।

मेसर्स सुल्तान ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का विधिक निरीक्षण किये जाने के संबंध में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच36178/सी-6/ईट भट्टा/479/2019 दिनांक 20.05.2019 के माध्यम से दिये गये निर्देश के अनुक्रम में मुख्यालय से प्राप्त नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की प्रति ईट भट्टे पर उपस्थित श्री विजय कुमार, मुंशी को प्राप्त कराते हुए अपराह्न 13:30 बजे से 14:30 बजे के मध्य उक्त ईट भट्टा का निरीक्षण दिनांक 24.05.2019 को किया गया। श्री विजय कुमार, मुंशी को प्राप्त करायी गयी नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की मूल प्रति आख्या के साथ संलग्न है। विस्तृत आख्या निम्नवत है-

1. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक एच20652/सी-6/ईट भट्टा/33/बंदी आदेश/बस्ती/18 दिनांक 22.05.2018 द्वारा उक्त ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है।
2. निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टा संचालित पाया गया।
3. उक्त ईट भट्टा उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर पक्की ईटों का उत्पादन किया जाता है। ईट भट्टा उद्योग 17 पाये का है तथा ईट की उत्पादन क्षमता लगभग 18,000ईट/दिन है।
4. ईट भट्टा उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन में व औद्योगिक प्रयोजन में मिट्टी को भिगाने हेतु प्रयोग में किया जाता है। ईट भट्टा से किसी प्रकार का औद्योगिक उत्सर्जन नहीं होता है।
5. ईट भट्टा उद्योग में ईंधन के रूप में कोयला/लकड़ी लगभग 03टन/दिन की दर से प्रयोग में लिया जाता है। प्लू गैस का उत्सर्जन एक पक्की चिमनी जिसकी भूतल से ऊँचाई लगभग 27मी० है, के माध्यम से किया जाता है। चिमनी पर पोर्ट होल स्थापित है एवं मॉनीटरिंग प्लेटफार्म एवं सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
6. ईट भट्टा उद्योग संचालित होने के कारण वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु ग्रेवटी सेटलिंग चैम्बर का स्थापन किया जाना सम्भव नहीं हो पाया।
7. ईट भट्टा उद्योग द्वारा स्थापनार्थ सहमति एवं संचालन हेतु(वायु) सहमति बोर्ड से प्राप्त नहीं की गयी है।
8. ईट भट्टा को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 22.05.2018 द्वारा जारी बंदी आदेश वर्तमान में प्रभावी है। उक्त ईट भट्टा उद्योग द्वारा जारी बंदी आदेश की अवहेलना करते हुए ईट भट्टे का संचालन किया जा रहा है।
9. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ईट भट्टे को उत्सर्जन निस्तारण तथा गैसीय उत्सर्जन हेतु सहमति आदेश बोर्ड द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। बंदी आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी निरीक्षण के समय ईट भट्टा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ही अवैधानिक रूप से संचालित किया जाता हुआ पाया गया। अतः ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।
10. मेसर्स सुल्तान ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के पार्टनर श्री सुल्तान अहमद एवं श्री संजय कुमार पाण्डेय हैं जिनका नाम व पता का विवरण निम्नवत है-

श्री सुल्तान अहमद पुत्र श्री बदरुद्दीन
ग्राम-मूरनपुर, पो0-रघवापुर,
तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती।

श्री संजय कुमार पाण्डेय पुत्र श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय
ग्राम-मोहनपुर, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर,
तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

10
25.05.19
(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक

25/05/2019
(संतोष कुमार)
अवर अभियन्ता

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
T.C.-12V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR
LUCKNOW

Notice Of Inspection
[See Rule 10(2)]

Member-Secretary
Shri Ashish Tiwari

To,

M/s Sultan Brick Field,
Village-Mishrauliadheesh, Post-Shringinari,
Block-Parshurampur, Tehsil-Harriya,
District-Basti.

Take Notice that for the purpose of enquiry under section 21 the following officers of the Board, namely:-

1. Shri Santosh Kumar, J.E.
2. Shri Arun Kumar Srivastava, S.A.

and the persons authorized by the Board to assist them shall inspect-

Any system of your Industrial plant.


Any other parts thereof or pertaining thereto under management/control of date (a) 24/05/2019... between 12:30 P.M. to 14:30 P.M. hours when all facilities requested by them for such inspection should be made available to them on the site. Take Notice that refusal or denial to abovestated demand made under the functions of the State Board shall amount to obstruction punishable under section 37(1) of the Act.

Copy to

प्राप्त विद्यमान

सिद्ध कुमार, मुंशी

24-5-2019


Member-Secretary


(Ashish Tiwari)
Member Secretary
U.P. Pollution Control Board


माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-६०७/२०१९ अमित बनाम स्टेट आफ उ०प्र० में पारित आदेश दिनांक १३.०८.२०१९ एवं उक्त के संदर्भ में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच०४०४०५/सी-६/सा०-५१६/२०१९ दिनांक २६.०८.२०१९ द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में मेसर्स चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो०-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती की निरीक्षण संबंधी आख्या।


उपरोक्त संदर्भित ईट भट्टा मेसर्स चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो०-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक २६.०८.२०१९ को किया गया। निरीक्षण के समय श्री वीरेन्द्र वर्मा, मुंशी ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भट्टा आफ सीजन के कारण बंद पाया गया। विस्तृत आख्या निम्नवत है-

1. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त ईट भट्टा ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो०-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, बस्ती के गाटा सं०-९२० व ९२१ पर वर्ष २००८ से स्थापित एवं संचालित है।
2. उक्त ईट भट्टा १९ पाये का है तथा ईट की उत्पादन क्षमता लगभग २०,००० ईट/दिन है। ईट भट्टा द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर पक्की ईटों का उत्पादन किया जाता है।
3. ईट भट्टा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन में व औद्योगिक प्रयोजन में मिट्टी को भिगोने हेतु प्रयोग में किया जाता है। ईट भट्टा से किसी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है।
4. ईट भट्टा उद्योग में ईंधन के रूप में कोयला/लकड़ी लगभग ३.२ टन/दिन की दर से प्रयोग में लिया जाता है। पलू गैस का उत्सर्जन एक पक्की चिमनी जिसकी भूतल से ऊँचाई लगभग २७ मी० है, के माध्यम से किया जाता है। निरीक्षण के समय चिमनी पर पोर्ट होल स्थापित पाया गया परन्तु नियमानुसार मॉनीटरिंग प्लेटफार्म तथा सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
5. ईट भट्टे को पूर्व में राज्य बोर्ड द्वारा गैसीय उत्सर्जन हेतु सशर्त सहमति (वायु) दिनांक ३१.१२.२०१३ तक की अवधि हेतु निर्गत किया गया था।
6. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक एच०२४९२३/सी-६/ईट भट्टा/२९/बंदी आदेश/बस्ती/१८ दिनांक १६.०८.२०१८ (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ (यथा संशोधित) की धारा-३१ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है।
7. ईट भट्टा को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक १६.०८.२०१८ द्वारा जारी बंदी आदेश वर्तमान में प्रभावी है। उक्त ईट भट्टा उद्योग द्वारा जारी बंदी आदेश की अवहेलना करते हुए पूर्व ईट भट्टा सत्र २०१८-१९ में अपने ईट भट्टे का संचालन किया गया।
8. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ईट भट्टे को उत्प्रवाह निस्तारण तथा गैसीय उत्सर्जन हेतु सहमति आदेश बोर्ड द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। बंदी आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी पूर्व में इस कार्यालय द्वारा दिनांक २४.०५.२०१९ को किये गये निरीक्षण के समय ईट भट्टा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ही अवैधानिक रूप से संचालित किया जाता हुआ पाया गया था जिसके कारण ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ (यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्र सं०-४४४/सी-१४२/वायु/२०१९ दिनांक २५.०५.२०१९ (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक


(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक


(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. / सी-6/ईट मट्टा/29 /बन्दी आदेश/बस्ती/18

Dated

पंजीकृत

मेसर्स चौधरी ब्रिक फील्ड,
ग्राम-मिश्रौलियाधीश, ब्लॉक-परशुरामपुर,
तहसील-हरैया,
जनपद-बस्ती।

यह कि मेसर्स चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, ब्लॉक-परशुरामपुर, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर लगभग 20,000 ईट/दिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा-40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि यह कि मेसर्स चौधरी ब्रिकफील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, ब्लॉक-परशुरामपुर, तहसील- हरैया, जनपद- बस्ती का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.04.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट मट्टा संचालित पाया गया।

यह कि मेसर्स चौधरी ब्रिकफील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, ब्लॉक-परशुरामपुर, तहसील- हरैया, जनपद-बस्ती को बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा-31 ए के अन्तर्गत दिनांक 20-03-18 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु ईटमट्टा द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर /समाप्तीकरण नहीं दिया गया है।

अतएव जन-हित एवं जन-साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट मट्टा को संचालन से रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत आपके ईट मट्टा मेसर्स चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, ब्लॉक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती को निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मेसर्स चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, परगना, अमोड़ा, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि, सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट मट्टा मेसर्स चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, परगना, अमोड़ा, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाइसेन्स के साथ-साथ मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

(प्रमोद मिश्रा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-6)

तेलिपि:-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, बस्ती।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बस्ती।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बस्ती।
4. जिला खनन अधिकारी, बस्ती।

5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को इस इस निर्देश के साथ कि ईट मट्टा को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

प्रमोद मिश्रा

दिनांक 13-10-2018

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)

दूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फ़ैक्स : 05542-281440
Phone & Fax : 05542-281440



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 404/सी०-142/तापु/2019

दिनांक : 25/05/2019

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(यूत्त-6)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण भवन, टी०सी०-12 वी०, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषय:-मेसर्स चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो०-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-
हरैया, जनपद-बस्ती के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच36178/सी-6/ईट भट्टा/479/
2019 दिनांक 20.05.2019 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। बोर्ड मुख्यालय द्वारा उक्त पत्र के
माध्यम से प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में मेसर्स चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो०-श्रृंगीनारी,
ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का विधिक निरीक्षण इस कार्यालय के अधिकारियों से
दिनांक 24.05.2019 को कराया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टे पर उपस्थित श्री विरेन्द्र वर्मा, मुंशी
को बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की प्रति प्राप्त करायी गयी।
निरीक्षण आख्या एवं नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की मूल प्रति पत्र के साथ संलग्न कर
आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(एस०बी०सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
b/c

ब्लॉक रोड, बुद्धापुरम, बड़ेबन, बस्ती-272001

Web site: www.uppcb.com, e-mail id: robasti@uppcb.com, ropcbbasti@gmail.com

उद्योग मेसर्स चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो-शृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के संबंध में विधिक निरीक्षण संबंधी आख्या।

मेसर्स चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो-शृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का विधिक निरीक्षण किये जाने के संबंध में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच38173/सी-6/ईट भट्टा/479/2019 दिनांक 20.05.2019 के माध्यम से दिये गये निर्देश के अनुक्रम में मुख्यालय से प्राप्त नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की प्रति ईट भट्टे पर उपस्थित श्री विरेन्द्र वर्मा, मुंशी को प्राप्त कराते हुए अपराह्न 12:30 बजे से 13:30 बजे के मध्य उक्त ईट भट्टा का निरीक्षण दिनांक 24.05.2019 को किया गया। श्री विरेन्द्र वर्मा, मुंशी को प्राप्त करायी गयी नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की मूल प्रति आख्या के साथ संलग्न है। विस्तृत आख्या निम्नवत है-

1. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक एच24923/सी-6/ईट भट्टा/29/बंदी आदेश/बस्ती/18 दिनांक 16.08.2018 द्वारा उक्त ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है।
2. निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टा संचालित पाया गया।
3. उक्त ईट भट्टा उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर पक्की ईटों का उत्पादन किया जाता है। ईट भट्टा उद्योग 19 पाये का है तथा ईट की उत्पादन क्षमता लगभग 20,000ईट/दिन है।
4. ईट भट्टा उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन में व औद्योगिक प्रयोजन में मिट्टी को भिगोने हेतु प्रयोग में किया जाता है। ईट भट्टा से किसी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रावह जनित नहीं होता है।
5. ईट भट्टा उद्योग में ईंधन के रूप में कोयला/लकड़ी लगभग 3.2टन/दिन की दर से प्रयोग में लिया जाता है। पलू गैस का उत्सर्जन एक पक्की चिमनी जिसकी भूतल से ऊँचाई लगभग 27मी० है, के माध्यम से किया जाता है। चिमनी पर पोर्ट होल स्थापित है तथा मॉनीटरिंग प्लेटफार्म एवं सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी।
6. ईट भट्टा उद्योग संचालित होने के कारण वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु ग्रेवटी सेटलिंग चैम्बर का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं हो पाया।
7. ईट भट्टा उद्योग द्वारा वर्तमान ईट भट्टा सत्र वर्ष 2018-19 में संचालन हेतु(वायु) सहमति बोर्ड से प्राप्त नहीं की गयी है।
8. ईट भट्टा को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 16.08.2018 द्वारा जारी बंदी आदेश वर्तमान में प्रभावी है। उक्त ईट भट्टा उद्योग द्वारा जारी बंदी आदेश की अवहेलना करते हुए ईट भट्टे का संचालन किया जा रहा है।
9. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ईट भट्टे को उत्प्रावह निस्तारण तथा गैसीय उत्सर्जन हेतु सहमति आदेश बोर्ड द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। बंदी आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी निरीक्षण के समय ईट भट्टा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ही अवैधानिक रूप से संचालित किया जाता हुआ पाया गया। अतः ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संरतुति की जाती है।
10. मेसर्स चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो-शृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के प्रोपराइटर श्री अवधेश वर्मा है जिनका नाम व पता का विवरण निम्नवत है-

श्री अवधेश वर्मा पुत्र श्री जयराम चौधरी

(आयु लगभग 45 वर्ष)

मोहल्ला-मोहसिनपुर उत्तरहवा, रोडवेज को, बगल,

अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)

वैज्ञानिक सहायक

(संतोष कुमार)

अवर अभियन्ता

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
T.C.-12V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR
LUCKNOW

Notice Of Inspection
[See Rule 10(2)]

Member-Secretary
Shri Ashish Tiwari

To,
M/s Chaudhary Brick Field,
Village-Mishrauliadheesh, Post-Shringinari,
Block-Parshurampur, Tehsil-Harriya,
District-Basti.


Take Notice that for the purpose of enquiry under section 21 the following officers of the Board, namely:-

1. Shri Santosh Kumar, J.E.
2. Shri Arun Kumar Srivastava, S.A.

and the persons authorized by the Board to assist them shall inspect-

Any system of your Industrial plant.

Any other parts thereof or pertaining thereto under management/control of date (a) 22/05/2019... between 12:30 P.M. to 1:30 P.M. hours when all facilities requested by them for such inspection should be made available to them on the site. Take Notice that refusal or denial to abovestated demand made under the functions of the State Board shall amount to obstruction punishable under section 37(1) of the Act.


Member-Secretary
(Ashish Tiwari)
Member Secretary
U.P. Pollution Control Board

Copy to


प्रकृती या
विशेष पत्रिका मुद्रणी
२५-५-२०१९


माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-607/2019 अमित बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 एवं उक्त के संदर्भ में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच40405/सी-6/सा0-516/2019 दिनांक 26.08.2019 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में मेसर्स आलोक ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती की निरीक्षण संबंधी आख्या।


उपरोक्त संदर्भित ईट भट्ठा मेसर्स आलोक ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 26.08.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री राजकरन वर्मा, मुंशी ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा आफ सीजन के कारण बंद पाया गया। विस्तृत आख्या निम्नवत है-

1. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त ईट भट्ठा ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, बस्ती के गाटा सं0-298 एवं 305 पर वर्ष 2010 से स्थापित एवं संचालित है।
2. उक्त ईट भट्ठा 20 पाये का है तथा ईट की उत्पादन क्षमता लगभग 20,000 ईट/दिन है। ईट भट्ठा द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर पक्की ईटों का उत्पादन किया जाता है।
3. ईट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन में व औद्योगिक प्रयोजन में मिट्टी को भिगोने हेतु प्रयोग में किया जाता है। ईट भट्ठा से किसी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है।
4. ईट भट्ठा उद्योग में ईंधन के रूप में कोयला/लकड़ी लगभग 3.2 टन/दिन की दर से प्रयोग में लिया जाता है। पलू गैस का उत्सर्जन एक पक्की चिमनी जिसकी भूतल से ऊँचाई लगभग 27 मी० है, के माध्यम से किया जाता है। निरीक्षण के समय चिमनी पर पोर्ट होल, मॉनीटरिंग प्लेटफार्म तथा सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
5. ईट भट्ठे को पूर्व में राज्य बोर्ड द्वारा गैसीय उत्सर्जन हेतु सशर्त सहमति (वायु) दिनांक 31.12.2013 तक की अवधि हेतु निर्गत किया गया था।
6. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक एच20682/सी-6/ईट भट्ठा/32/बंदी आदेश/बस्ती/18 दिनांक 22.06.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त ईट भट्ठे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है।
7. ईट भट्ठा को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 22.05.2018 द्वारा जारी बंदी आदेश वर्तमान में प्रभावी है। उक्त ईट भट्ठा उद्योग द्वारा जारी बंदी आदेश की अवहेलना करते हुए पूर्व ईट भट्ठा सत्र 2018-19 में अपने ईट भट्ठे का संचालन किया गया।
8. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ईट भट्ठे को उत्प्रवाह निस्तारण तथा गैसीय उत्सर्जन हेतु सहमति आदेश बोर्ड द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। बंदी आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी पूर्व में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 24.05.2019 को किये गये निरीक्षण के समय ईट भट्ठा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ही अवैधानिक रूप से संचालित किया जाता हुआ पाया गया था जिसके कारण ईट भट्ठे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्र सं0-441/सी-135/वायु/2019 दिनांक 25.05.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक


(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक


(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

02-618
... 12.06.18 / सी-6/ईट मट्टा/32 /बन्दी आदेश/बस्ती/18/

Dated 22-5-18

मेसर्स आलोक ब्रिक फील्ड,
ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तम्पा, पुरैना
ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील- हरैया,
जनपद- बस्ती।

पंजीक

यह कि मेसर्स आलोक ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तम्पा पुरैना, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर लगभग 20,000 ईट/दिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा-40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि यह कि मेसर्स आलोक ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तम्पा पुरैना, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.04.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट उत्पादन संचालित पाया गया।

यह कि मेसर्स आलोक ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तम्पा पुरैना, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती को बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा-31 ए के अंतर्गत दिनांक 2-03-18 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु ईट मट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर स्वीकृति नहीं दिया गया है।

अतएव जन-हित एवं जन-साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट मट्टे का संचालन से रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अंतर्गत आपके ईट मट्टे मेसर्स आलोक ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तम्पा पुरैना, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती को निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मेसर्स आलोक ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तम्पा पुरैना, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि, सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट मट्टे मेसर्स आलोक ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, तम्पा पुरैना, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील हरैया, जनपद- बस्ती को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाइसेन्स के साथ-साथ मिलने वाली अन्य कृषिआं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

(प्रमोद मिश्रा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-8)

पि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, बस्ती।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बस्ती।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बस्ती।
4. जिला खनन अधिकारी, बस्ती।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को इस इस निर्देश के साथ कि ईट मट्टे को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

प्राप्त प्रकृतिके जापकटन मुन्शी 12.10.18

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-8)

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फ़ैक्स : 05542-281440
Phone & Fax : 05542-281440



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Regional Office

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 441/सी०-135/बापु/2019

दिनांक : 25/05/2019

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-6)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण भवन, टी०सी०-12 वी०, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषय:-मेसर्स आलोक ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो०-श्रृंगीनारी, ब्लॉक- परशुरामपुर, तहसील-
हरैया, जनपद-बस्ती के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच36178/सी-6/ईट भट्टा/479/
2019 दिनांक 20.05.2019 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। बोर्ड मुख्यालय द्वारा उक्त पत्र के
माध्यम से प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में मेसर्स आलोक ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो०-श्रृंगीनारी,
ब्लॉक- परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का विधिक निरीक्षण इस कार्यालय के अधिकारियों
से दिनांक 24.05.2019 को कराया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टे पर उपस्थित श्री प्रभात कुमार
तिवारी, मुन्शी को बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की प्रति प्राप्त
करायी गयी। निरीक्षण आख्या एवं नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की मूल प्रतियाँ पत्र के साथ
संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

महदीय
(एस०बी०सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

ब्लॉक रोड, बुद्धापुरम, बडेबन, बस्ती-272001

Web site: www.uppcb.com, e-mail id: robasti@uppcb.com, ropcbbasti@gmail.com

ईट भट्टा उद्योग मेसर्स आलोक ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-शृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के संबंध में विधिक निरीक्षण संबंधी आख्या।

मेसर्स आलोक ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-शृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का विधिक निरीक्षण किये जाने के संबंध में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच36178/सी-6/ईट भट्टा/479/2019 दिनांक 20.05.2019 के माध्यम से दिये गये निर्देश के अनुक्रम में मुख्यालय से प्राप्त नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की प्रति ईट भट्टे पर उपस्थित श्री प्रभात कुमार तिवारी, मुंशी को प्राप्त कराते हुए अपराह्न 14:00 बजे से 15:00 बजे के मध्य उक्त ईट भट्टा का निरीक्षण दिनांक 24.05.2019 को किया गया। श्री प्रभात कुमार तिवारी, मुंशी को प्राप्त करायी गयी नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की मूल प्रति आख्या के साथ संलग्न है। विस्तृत आख्या निम्नवत है-

1. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक एच20862/सी-6/ईट भट्टा/32/बंदी आदेश/बस्ती/18 दिनांक 22.05.2018 द्वारा उक्त ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है।
2. निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टा संचालित पाया गया।
3. उक्त ईट भट्टा उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर पक्की ईटों का उत्पादन किया जाता है। ईट भट्टा उद्योग 20 पाये का है तथा ईट की उत्पादन क्षमता लगभग 20,000ईट/दिन है।
4. ईट भट्टा उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन में व औद्योगिक प्रयोजन में मिट्टी को मिगोन हेतु प्रयोग में किया जाता है। ईट भट्टा से किसी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है।
5. ईट भट्टा उद्योग में ईंधन के रूप में कोयला/लकड़ी लगभग 3.2टन/दिन की दर से प्रयोग में लिया जाता है। फ्लू गैस का उत्सर्जन एक पक्की चिमनी जिसकी भूतल से ऊंचाई लगभग 27मी0 है, के माध्यम से किया जाता है। चिमनी पर पोर्ट होल स्थापित है तथा मॉनीटरिंग प्लेटफार्म एवं सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी।
6. ईट भट्टा उद्योग संचालित होने के कारण वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु ग्रेवटी सेटलिंग चैम्बर का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं हो पाया।
7. ईट भट्टा उद्योग द्वारा वर्तमान ईट भट्टा सत्र वर्ष 2018-19 में संचालन हेतु(वायु) सहमति बोर्ड से प्राप्त नहीं की गयी है।
8. ईट भट्टा को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 22.05.2018 द्वारा जारी बंदी आदेश वर्तमान में प्रभावी है। उक्त ईट भट्टा उद्योग द्वारा जारी बंदी आदेश की अवहेलना करते हुए ईट भट्टे का संचालन किया जा रहा है।
9. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ईट भट्टे को उत्प्रवाह निस्तारण तथा गैसीय उत्सर्जन हेतु सहमति आदेश बोर्ड द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। बंदी आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी निरीक्षण के समय ईट भट्टा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ही अवैधानिक रूप से संचालित किया जाता हुआ पाया गया। अतः ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।
10. मेसर्स आलोक ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-शृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के प्रोपराइटर श्री सूर्य प्रताप मिश्रा है जिनका नाम व पता का विवरण निम्नवत है-

श्री सूर्य प्रताप मिश्रा पुत्र श्री रामचन्द्र मिश्रा

(आयु लगभग 35 वर्ष)

ग्राम-रतनपुर, पो0-परशुरामपुर,

तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

55.05.19
(अरुण कुमार श्रीवास्तव)

वैज्ञानिक सहायक

25/05/2019
(संतोष कुमार)
अवर अभियन्ता

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
T.C.-12V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR
LUCKNOW

Notice Of Inspection
[See Rule 10(2)]

Member-Secretary
Shri Ashish Tiwari

To,

M/s Alok Brick Field,
Village-Mishrauliyaadheesh, Post-Shringinari,
Block-Parshurampur, Tehsil-Harriya,
District-Basti.

Take Notice that for the purpose of enquiry under section 21 the following officers of the Board, namely:-


1. Shri Santosh Kumar, J.E.
2. Shri Arun Kumar Srivastava, S.A.

and the persons authorized by the Board to assist them shall inspect-

Any system of your Industrial plant.

Any other parts thereof or pertaining thereto under management/control of date (a) 24/05/2019.. between 10:00 P.M. to 15:00 P.M. hours when all facilities requested by them for such inspection should be made a available to them on the site. Take Notice that refusal or denial to abovestated demand made under the functions of the State Board shall amount to obstruction punishable under section 37(1) of the Act.

Copy to


Member-Secretary
(Ashish Tiwari)
Member-Secretary
U.P. Pollution Control Board


डा. अशोक कुमार
प्रभार कुंभार निवासी जमकरन विहारी, कुशी
पैरर परशुरामपुर तहसील बरौली (बरौली)
प्रभार कुंभार निवासी
24.5.19


माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-607/2019 अमित बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 एवं उक्त के संदर्भ में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच40405/सी-6/सा0-516/2019 दिनांक 26.08.2019 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में मेसर्स ताजअली ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती की निरीक्षण संबंधी आख्या।


उपरोक्त संदर्भित ईट भट्ठा मेसर्स ताजअली ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 26.08.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री रियाज अहमद(ईट भट्ठा प्रोपराइटर के पुत्र) ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा आफ सीजन के कारण बंद पाया गया। विस्तृत आख्या निम्नवत है-

1. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त ईट भट्ठा ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, बस्ती के गाटा सं0-657 पर वर्ष 2002 से स्थापित एवं संचालित है।
2. उक्त ईट भट्ठा 19 पाये का है तथा ईट की उत्पादन क्षमता लगभग 20,000ईट/दिन है। ईट भट्ठा द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर पक्की ईटों का उत्पादन किया जाता है।
3. ईट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन में व औद्योगिक प्रयोजन में मिट्टी को भिगोने हेतु प्रयोग में किया जाता है। ईट भट्ठा से किसी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है।
4. ईट भट्ठा उद्योग में ईंधन के रूप में कोयला/लकड़ी लगभग 3.2टन/दिन की दर से प्रयोग में लिया जाता है। पलू गैस का उत्सर्जन एक पक्की चिमनी जिसकी भूतल से ऊँचाई लगभग 27मी0 है, के माध्यम से किया जाता है। निरीक्षण के समय चिमनी पर पोर्ट होल स्थापित पाया गया परन्तु मॉनीटरिंग प्लेटफार्म तथा सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
5. ईट भट्ठे को पूर्व में राज्य बोर्ड द्वारा गैसीय उत्सर्जन हेतु सशर्त सहमति (वायु) दिनांक 31.12.2014 तक की अवधि हेतु निर्गत किया गया था।
6. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक एच20657/सी-6/ईट भट्ठा/30/बंदी आदेश/बस्ती/18 दिनांक 22.05.2018(छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त ईट भट्ठे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है।
7. ईट भट्ठा को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 22.05.2018 द्वारा जारी बंदी आदेश वर्तमान में प्रभावी है। उक्त ईट भट्ठा उद्योग द्वारा जारी बंदी आदेश की अवहेलना करते हुए पूर्व ईट भट्ठा सत्र 2018-19 में अपने ईट भट्ठे का संचालन किया गया।
8. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ईट भट्ठे को उत्प्रवाह निस्तारण तथा गैसीय उत्सर्जन हेतु सहमति आदेश बोर्ड द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। बंदी आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी पूर्व में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 24.05.2019 को किये गये निरीक्षण के समय ईट भट्ठा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ही अवैधानिक रूप से संचालित किया जाता हुआ पाया गया था जिसके कारण ईट भट्ठे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्र सं0-443/सी-75/वायु/2019 दिनांक 25.05.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक


(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक


(संतोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

Ref. No. 20658/सी-6/ईट मट्टा/30/बन्दी आदेश/बस्ती/18

Dated 22-5-18

पंजीकृत

मेसर्स ताज अली ब्रिक फील्ड,
ग्राम-मिश्रौलियाधीश, ब्लॉक-परशुरामपुर,
तहसील-हरैया,
जनपद-बस्ती।

यह कि मेसर्स ताज अली ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, ब्लॉक-परशुरामपुर, तहसील हरैया, जनपद-बस्ती जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर लगभग 20,000 ईट/दिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा-40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि यह कि मेसर्स ताज अली ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, ब्लॉक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.04.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट मट्टा संचालित पाया गया।

यह कि मेसर्स ताज अली ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, ब्लॉक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती को बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा-31 ए के अन्तर्गत दिनांक 20-03-18 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु ईट मट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अतएव जन-हित एवं जन-साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट मट्टे को संचालन से रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत आपके ईट मट्टे मेसर्स ताज अली ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, ब्लॉक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती को निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मेसर्स ताज अली ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, परगना, अमोढ़ा, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि, सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट मट्टे मेसर्स ताज अली ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, परगना, अमोढ़ा, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाइसेन्स के साथ-साथ मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

(प्रमोद मिश्रा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (बुल-6)

तिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, बस्ती।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बस्ती।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बस्ती।
4. जिला खनन अधिकारी, बस्ती।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को इस इस निर्देश के साथ कि ईट मट्टे को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

13.10.18

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (बुल-6)

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फ़ैक्स : 05542-281440
Phone & Fax : 05542-281440



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Regional Office

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 443/सी 0-75/वायु/2019

दिनांक : 25/05/20

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-6)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण भवन, टी०सी०-12 वी०, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषय:-मेसर्स ताज अली ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो०-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर,
तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच36178/सी-6/ईट भट्टा/479/
2019 दिनांक 20.05.2019 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। बोर्ड मुख्यालय द्वारा उक्त पत्र के
माध्यम से प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में मेसर्स ताज अली ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो०-
श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का विधिक निरीक्षण इस कार्यालय के
अधिकारियों से दिनांक 24.05.2019 को कराया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टे पर उपस्थित श्री
रियाज अहमद(प्रोपराइटर के पुत्र) को बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2))
की प्रति प्राप्त करायी गयी। निरीक्षण आख्या एवं नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की मूल प्रति
पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एस०बी०सिंह)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

ब्लॉक रोड, बुद्धापुरम, बड़ेबन, बस्ती-272001

Web site: www.uppcb.com, e-mail id: robasti@uppcb.com, ropcbbasti@gmail.com

ईट, भट्टा उद्योग मेसर्स ताज अली ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के संबंध में विधिक निरीक्षण संबंधी आख्या।

मेसर्स ताज अली ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती का विधिक निरीक्षण किये जाने के संबंध में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच36178/सी-6/ईट भट्टा/479/2019 दिनांक 20.05.2019 के माध्यम से दिये गये निर्देश के अनुक्रम में मुख्यालय से प्राप्त नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की प्रति ईट भट्टे पर उपस्थित श्री रियाज अहमद (प्रोपराइटर के पुत्र) को प्राप्त कराते हुए अपराह्न 12:30 बजे से 13:30 बजे के मध्य उक्त ईट भट्टा का निरीक्षण दिनांक 24.05.2019 को किया गया। श्री रियाज अहमद को प्राप्त करायी गयी नोटिस आफ इन्सपेक्शन (नियम-10(2)) की मूल प्रति आख्या के साथ संलग्न है। विस्तृत आख्या निम्नवत है-

1. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक एच20657/सी-6/ईट भट्टा/30/बंदी आदेश/बस्ती/18 दिनांक 22.05.2018 द्वारा उक्त ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है।
2. निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टा संचालित पाया गया।
3. उक्त ईट भट्टा उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर पक्की ईटों का उत्पादन किया जाता है। ईट भट्टा उद्योग 19 पावे का है तथा ईट की उत्पादन क्षमता लगभग 20,000 ईट/दिन है।
4. ईट भट्टा उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन में व औद्योगिक प्रयोजन में मिट्टी को भिगोने हेतु प्रयोग में किया जाता है। ईट भट्टा से किसी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है।
5. ईट भट्टा उद्योग में ईंधन के रूप में कोयला/लकड़ी लगभग 32 टन/दिन की दर से प्रयोग में लिया जाता है। पलू गैस का उत्सर्जन एक पक्की चिमनी जिसकी भूतल से ऊँचाई लगभग 27 मी० है, के माध्यम से किया जाता है। चिमनी पर पोर्ट होल एवं सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित है परन्तु मॉनीटरिंग प्लेटफार्म की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
6. ईट भट्टा उद्योग संचालित होने के कारण वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु ग्रेवटी सेटलिंग चैम्बर का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं हो पाया।
7. ईट भट्टा उद्योग द्वारा वर्तमान ईट भट्टा सत्र वर्ष 2018-19 में संचालन हेतु (वायु) सहमति बोर्ड से प्राप्त नहीं की गयी है।
8. ईट भट्टा को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 22.05.2018 द्वारा जारी बंदी आदेश वर्तमान में प्रभावी है। उक्त ईट भट्टा उद्योग द्वारा जारी बंदी आदेश की अवहेलना करते हुए ईट भट्टे का संचालन किया जा रहा है।
9. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ईट भट्टे को उत्प्रवाह निस्तारण तथा गैसीय उत्सर्जन हेतु सहमति आदेश बोर्ड द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। बंदी आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी निरीक्षण के समय ईट भट्टा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ही अवैधानिक रूप से संचालित किया जाता हुआ पाया गया। अतः ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।
10. मेसर्स ताज अली ब्रिक फील्ड, ग्राम-मिश्रौलियाधीश, पो0-श्रृंगीनारी, ब्लाक-परशुरामपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के प्रोपराइटर श्री ताज अली हैं जिनका नाम व पता का विवरण निम्नवत है-

श्री ताज अली पुत्र श्री इम्तियाज अली

(आयु लगभग 65 वर्ष)

ग्राम-टीकर, पो0-स्वामी नारायण छपिया,

तहसील-मनकापुर, जनपद-गोण्डा।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)

वैज्ञानिक सहायक

(संतोष कुमार)

अवर अभियन्ता

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
T.C.-12V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR
LUCKNOW

Notice Of Inspection
[See Rule 10(2)]

Member-Secretary
Shri Ashish Tiwari

To,
M/s Taj Ali Brick Field,
Village-Mishrauliyaadheesh, Post-Shringinari,
Block-Parshurampur, Tehsil-Harriya,
District-Basti.


Take Notice that for the purpose of enquiry under section 21 the following officers of the Board, namely:-

1. Shri Santosh Kumar, J.E.
2. Shri Arun Kumar Srivastava, S.A.

and the persons authorized by the Board to assist them shall inspect-

Any system of your Industrial plant.

Any other parts thereof or pertaining thereto under management/control of date (a) 24/05/2019.. between 12:30 P.M. to 13:30 P.M. hours when all facilities requested by them for such inspection should be made a available to them on the site. Take Notice that refusal or denial to abovestated demand made under the functions of the State Board shall amount to obstruction punishable under section 37(1) of the Act.


Member-Secretary
(Ashish Tiwari)
Member-Secretary
U.P. Pollution Control Board

Copy to

प्रधान कार्यालय -
विभाग प्रमुख, सी. ए. विभाग
ग. 1. सी. ए. पो. हारिया
जि. बाराबंकी
विभाग प्रमुख
24-5-19


कार्यालय जिलाधिकारी, बस्ती के पत्रांक 648/खनन सहायक/2019-20 दिनांक 05.07.2019 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में ग्राम मिश्रौलिया धीश, तप्पा-पुरैना, ब्लाक-परसरामपुर, पोस्ट-श्रृंगीनारी तहसील-हरैया जनपद-बस्ती में स्थापित एवं अवैध रूप से संचालित ईट-भट्टों की निरीक्षण आख्या।


कार्यालय जिलाधिकारी, बस्ती के पत्रांक 648/खनन सहायक/2019-20 दिनांक 05.07.2019 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में ग्राम मिश्रौलिया धीश, तप्पा-पुरैना, ब्लाक-परसरामपुर, पोस्ट-श्रृंगीनारी तहसील-हरैया जनपद-बस्ती के उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (बोर्ड मुख्यालय), लखनऊ द्वारा बन्दी आदेश प्राप्त एवं ईट भट्टा सत्र 2018-19 में अवैध रूप से संचालित किये गए ईट भट्टों का संयुक्त निरीक्षण राजेश प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार हरैया-बस्ती, सन्तोष कुमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बस्ती एवं अरुण कुमार श्रीवास्तव, वैज्ञानिक सहायक, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बस्ती द्वारा दिनांक 12.07.2019 को किया गया। विवरण निम्नवत् है:-

1. मेसर्स ताज अली बिक्र फिल्ड, ग्राम-मिश्रौलिया धीश, तप्पा-पुरैना, ब्लाक-परसरामपुर, पोस्ट-श्रृंगीनारी तहसील-हरैया जनपद-बस्ती-
2. मेसर्स आलोक बिक्र फिल्ड, ग्राम-मिश्रौलिया धीश, तप्पा-पुरैना, ब्लाक-परसरामपुर, पोस्ट-श्रृंगीनारी तहसील-हरैया जनपद-बस्ती-
3. मेसर्स चौधरी बिक्र फिल्ड, ग्राम-मिश्रौलिया धीश, तप्पा-पुरैना, ब्लाक-परसरामपुर, पोस्ट-श्रृंगीनारी तहसील-हरैया जनपद-बस्ती
4. मेसर्स बालाजी बिक्र फिल्ड (पूर्व नाम 'पुवला बिक्र फिल्ड) ग्राम-मिश्रौलिया धीश, तप्पा-पुरैना, ब्लाक-परसरामपुर, पोस्ट-श्रृंगीनारी तहसील-हरैया जनपद-बस्ती
5. मेसर्स सुल्तान बिक्र फिल्ड, ग्राम-मिश्रौलिया धीश, तप्पा-पुरैना, ब्लाक-परसरामपुर, पोस्ट-श्रृंगीनारी तहसील-हरैया जनपद-बस्ती

निरीक्षण के समय उपरोक्त सभी ईट भट्टे आफसीजन होने के कारण बन्द पाये गए। सभी ईट भट्टे लगभग 20-25 दिन पूर्व ही बन्द हुये हैं। निरीक्षण के समय ईट भट्टे के प्रोपराईटर / पार्टनर उपस्थित नहीं थे। ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में चौकीदार / मुंशी ही उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उपरोक्त ईट भट्टों के प्रतिनिधि एवं दूरभाष पर ईट भट्टों के प्रोपराईटर / पार्टनर को आगामी ईट भट्टा सत्र 2019-20 में मिट्टी खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति एवं राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये ईट भट्टा का संचालन न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


12.7.19
(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बस्ती।


12/07/2019
(सन्तोष कुमार)
सहा० पर्यावरण अभियन्ता
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बस्ती।


12.07.2019
(राजेश प्रताप सिंह)
नायब तहसीलदार
हरैया-बस्ती।